भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *114
09.02.2018 को उत्तर के लिए

पी.वी.सी. पाइप में लीड का उपयोग

***114. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पी.वी.सी. पाइपों में लीड के उपयोग के संबंध में कोई मानक अधिसूचित करने तथा तय करने के लिए कोई आदेश जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार पी.वी.सी. पाइपों में लीड के उपयोग आधारित स्टेबिलाइजर के स्थान पर किसी वैकल्पिक स्टेबिलाइजर के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लीड आधारित पी.वी.सी. के आयात पर उसी तरह प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है जैसे पेट्रोलियम उत्पादों और पेंट्स में लीड के उपयोग पर रोक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पेयजल तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक वस्तुओं में लीड की उपस्थिति के कुप्रभाव की पुष्टि के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लीड के उपयोग की निगरानी करने/इस पर रोक लगाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'पी वी सी पाइप में लीड के उपयोग' के बारे में दिनांक 09.02.2018 को उत्तर के लिए श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने दिनांक 25.05.2017 के आदेश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, अन्य बातों के साथ-साथ, निदेश दिया है कि वह पीवीसी पाइपों में लीड के प्रयोग के लिए मानक अधिसूचित तथा निर्धारित करे तथा पीवीसी पाइपों में स्टेबिलाइजर के रूप में लीड के प्रयोग को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम बनाए। पीवीसी पाइपों में स्टेबिलाइजर के रूप में लीड के उपयोग को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए, संबंधित पक्षों अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के तकनीकी विशेषज्ञों, इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स इन दी एन्वायरनमेंट, अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ के माध्यम से पीवीसी पाइप विनिर्माताओं इत्यादि के परामर्श से, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर माननीय एनजीटी को प्रस्तुत कर दी गयी थी।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पेयजल में तथा पीवीसी पाइपों में लीड के प्रयोग के कुप्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ड.) उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी मानक निर्धारित करने के लिए अधिदेशित भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल आपूर्ति के लिए लीड एवं प्लास्टिक से भिन्न सामग्री से बने पीवीसी पाइपों के प्रयोग और पीने योग्य गर्म तथा ठंडे जल की आपूर्ति के लिए क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइपों के प्रयोग संबंधी मानक निर्धारित करने के साथ-साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के संघटकों तथा खाद्य पदार्थों, औषधियों और पेयजल इत्यादि में मिश्रित होने वाले इसके को-पॉलीमर्स की एक स्पष्ट सूची भी बनायी है।

*****